5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

पुनरिक्षण याचिका कमाक /2016

न्यायालय माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल म.प्र.

निग – 3572 – PBR-16

पुनरीक्षण आवेदक की और से :–

रमेशचन्द्र पिता खेमराज पाटीदार
आयु 48 वर्ष, धंधा कृषि निवासी– कोद
तहसील बदनावर जिला धार

— आवेदक

बनाम

1. मध्यप्रदेश शासन

2. बसन्तीलाल पिता खेमराज कुलम्बी
   निवासी कोद तह. बदनावर
3. ओमप्रकाश पिता खेमराज कुलम्बी
   निवासी कोद तहसील बदनावर जिला धार

– अनावेदक

पुनरीक्षण धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत

महोदय,

यह पुनरीक्षण अधिनस्थ विद्वान न्यायालय तहसीलदार बदनावर द्वारा राजस्व सुचनापत्र कमांक 7219 /री–1/2016 मे दिनांक 4/10/2016 को दिये गये सूचना पत्र एवं आदेश के विरूद्ध , को दिये गये आलोच्य आदेश से व अपनाई गई प्रकिया असन्तुष्ट, अप्रसन्न होकर यह पुनरिक्षण सविनय प्रस्तुत है कि :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3572 —पीबीआर / 16 [रमेशचन्द / शासन] **जिला धार**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8—11—2016	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित । उनकी ओर से यह निगरानी तहसीलदार द्वारा म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 38 के अंतर्गत जारी सूचना पत्र के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । यह निगरानी इस निर्देश के साथ समाप्त की जाती है कि आवेदक तहसील न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत करें । **(मनोज गोयल)** अध्यक्ष	